

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कटूमर जिला अलवर

दिनांक नं. 2/15/1/2020

तारीख रजू.....

बच्चूसिंह

बनाम

दुल्लेराभ बगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जूरी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खण्ड नं० 609, 745/1236, 769/1256, 770, 771/1254 वाके ग्राम सुण्डयाना तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के कब्जे काश्त में रुकावट/मजाहमत पैदा न करे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 29.10.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	<p>745 2/15/20</p> <p>Bachhu Singh</p>
13/10/2020	<p>पत्रावली काज मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश की जाने का कोर्ट को निवेदन भी है। अतः, पत्रावली पत्र 212 राजस्थान अधिनियम के अन्तर्गत पत्रावली में खल हुआ है। मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p>